

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 जून 2014—ज्येष्ठ 19, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

क्र. एफ-बी-1-33-2013-2-पांच (22).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 63 के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-4-2013-2-पांच (09), दिनांक 28 मार्च 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 1 अप्रैल 2014 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में, आबकारी शुल्क, जहां तक कि वह नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट आबकारी-कर-योग्य-वस्तुओं से संबंधित है, उसके कालम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरों पर, विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	आबकारी कर योग्य वस्तुओं का विवरण (2)	आबकारी शुल्क की दर (3)
1.	देशी मदिरा (25 डिग्री अन्डरप्रूफ देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अन्डरप्रूफ देशी मदिरा प्लेन).	रुपये 92/- प्रति प्रूफ लीटर
2.	असैनिक (सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट) घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर जब प्रति पेटी (12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य).	
(क)	रुपये 800/- तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 120 प्रतिशत या रुपये 625/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.

(1)	(2)	(3)
(ख)	रुपये 801 से रुपये 1100/- तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 100 प्रतिशत या रुपये 975/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(ग)	रुपये 1101 से रुपये 1600 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 75 प्रतिशत या रुपये 1100/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(घ)	रुपये 1601 से रुपये 2800 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 50 प्रतिशत या रुपये 1250/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(ङ)	रुपये 2801 से रुपये 4000 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 45 प्रतिशत या रुपये 1500/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(च)	रुपये 4001 से रुपये 10000 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 25 प्रतिशत या रुपये 1850/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(छ)	रुपये 10000/- से अधिक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 22 प्रतिशत या रुपये 2600/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
3. असैनिक (सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा (माल्ट) बीयर		
(क)	ड्राट बीयर	रुपये 20/- प्रति बल्क लीटर
(ख)	उपरोक्त खण्ड (क) से भिन्न बीयर	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 40 प्रतिशत या रुपये 115/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(ग)	लो-अल्कोहोलिक बिवरेजेस (पिए जाने के लिए तैयार) जिसमें 8 प्रतिशत तक अल्कोहल हो.	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 40 प्रतिशत
4. मद्य (वाइन)		
(क)	मद्य (वाइन)	रुपये 125/- प्रति प्रूफ लीटर
(ख)	मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर से और मध्यप्रदेश में निर्मित मद्य (वाइन)	शून्य
5. भांग		
(क)	नीलाम की गई भांग, भांगघोटा तथा भांग-मिठाई दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों के लिए.	रुपये 100/- प्रति किलोग्राम
(ख)	उपरोक्त खण्ड (क) से भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों/ संस्थाओं के लिए.	रुपये 300/- प्रति किलोग्राम

6. रक्षा सेवा कार्मिकों को प्रदाय की जाने वाली, भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय ड्यूटी, सिविलियन्स द्वारा रम के लिए दी जाने वाली ड्यूटी के 30 प्रतिशत की दर से तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा [व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन, वोदका, वाईन एवं माल्ट (बीयर) इत्यादि] के लिए दी जाने वाली ड्यूटी के 50 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी.

स्पष्टीकरण.—1. विदेशी मदिरा (स्परिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वोदका, लिकर्स, कार्डियल, बिटर तथा उनके मिश्रण तथा अन्य स्परिट युक्त निर्मितियां जिसमें स्परिट मुख्य घटक हों.

स्पष्टीकरण.—2. माल्ट मदिरा में सम्मिलित है बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर आदि.

स्पष्टीकरण.—3. “रक्षा सेवा कार्मिक” से अभिप्रेत है, ऐसे रक्षा सेवा कार्मिक जो रक्षा केंटीन संगठन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं, और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक जो संबंधित प्राधिकृत थोक रक्षा केंटीन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं.

7. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2014 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

क्र. बी-1-33-2013-2-पांच (22).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-33-2013-2-पांच (22), दिनांक 9 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 9th June 2014

No.F-B-1-33-2013-2-V(22).—In exercise of the powers conferred by Section 25 read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and in supersession of this Department's Notification No. B-1-4-2013-2-V (09), dated 28th March, 2013 issued in this behalf, the State Government, hereby prescribes the Excise duties in so far as they relate to the excisable articles specified in column (2) of the Table below, at the rates specified in the corresponding entries in column (3) thereof, with effect from 1st April 2014 in whole of the State of Madhya Pradesh, namely:—

TABLE

S. No.	Description of Excisable Articles	Rate of Excise Duty
(1)	(2)	(3)
1.	Country Spirit (25 degree under proof Spiced Country Spirit and 50 degree under proof Plain Country Spirit).	Rs. 92/- per proof liter
2.	Foreign Liquor (Spirit) for Civilians When per case (12 quart bottles or equivalent) declared Ex-foreign liquor warehouse price is,	
(a)	Upto rupees 800/-	120 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 625/- per case, whichever is higher.
(b)	Rs. 801/- and upto Rs. 1100/-	100 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 975/- per case, whichever is higher.
(c)	Rs. 1100/- and upto Rs. 1600/-	75 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 1100/- per case, whichever is higher.
(d)	Rs. 1601/- and upto Rs. 2800/-	50 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or

(1)	(2)	(3)
(e)	Rs. 2801/- and upto Rs. 4000/-	Rs. 1250/- per case, whichever is higher. 45 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 1500/- per case, whichever is higher.
(f)	Rs. 4001/- and upto Rs. 10000/-	25 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 1850/- per case, whichever is higher.
(g)	Exceed Rs. 10000/-	22 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 2600/- per case, whichever is higher.
3. Foreign Liquor (Malt) Beer for Civilians		
(a)	Draught Beer	Rs. 20/- per bulk litre.
(b)	Beer other than above clause (a)	40 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 115/- per case, whichever is higher.
(c)	Low-Alcoholic Beverages (Ready to drink), which contains upto 8 Percent of Alcohol.	40 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price
4. Wines		
(a)	Wines	Rs. 125/- per proof litre.
(b)	Wine made from grapes produced in Madhya Pradesh and Manufactured in Madhya Pradesh.	Zero
5. Bhang		
(a)	For licensees of auctioned shops of Bhang, Bhang-Ghota and Bhang-Sweets.	Rs. 100/- per kilogram
(b)	For licensees/ institutions other than above clause (a).	Rs. 300/- per kilogram.

6. The Excise Duty of the Indian made foreign liquor issued to the Defence Services personnel shall be charge for (Rum) at the rate of 30 percent and for other Indian made foreign liquor [Whisky, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Malt (Beer) etc.] at the rate of 50 percent, of duty payable by civilians.

Explanation—1. Foreign liquor (Spirit) includes Whisky, Brandy, Rum, Gin, Vodka, Liquor, Cordial, Bitter and their mixtures and other preparations containing spirit as main ingredient.

Explanation—2. Malt liquor includes Beer, Stout, Ale, Porter, Cider etc.

Explanation—3. "Defence Services" personnel shall mean defence service personnel receiving foreign liquor through the defence canteen organisation and the personnel of the border Security Force and the personnel of the Indo-Tibetan Border Police and personnel of the Central Industrial Security Force, receiving foreign liquor through the respective authorised wholesale military canteens.

7. This notification shall be deemed to have come into force, from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

क्र. बी-1-33-2013-2-पांच(23).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड), (छ) एवं (ज) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-2-पांच (14), दिनांक 5 अप्रैल 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में, की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित नगर/शहर की जनसंख्या या श्रेणी के लिए उसके कालम (3) में दर्शायी गई वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस होटल बार (एफ. एल.-3) अनुज्ञप्तियों और रिसोर्ट बार (एफ. एल.-3-ए) अनुज्ञप्तियों के लिए विहित करती है, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगर/शहर की जनसंख्या या श्रेणी (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
होटल बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.-3)		
1	ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक हो	रुपये 10,60,000/-
2	ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या पांच लाख से अधिक हो, किन्तु दस लाख से अधिक न हो.	रुपये 8,60,000/-
3	ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, किन्तु पांच लाख से अधिक न हो.	रुपये 7,50,000/-
4	ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक हो, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो.	रुपये 6,40,000/-
5	जिला मुख्यालय तथा ऐसे नगर/ शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या चालीस हजार से अधिक हो, किन्तु एक लाख से अधिक न हो.	रुपये 5,30,000/-
6	ईको-एडवेंचर पर्यटन के अधीन चिन्हित स्थल जो नगर/शहर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो :	
	(क) ए-श्रेणी के लिए	रुपये 4,00,000/-
	(ख) बी-श्रेणी के लिए	रुपये 3,40,000/-
	(ग) सी-श्रेणी के लिए	रुपये 3,20,000/-
7	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हेरीटेज होटल जो पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हों	रुपये 2,10,000/-
8	नगर, शहर तथा स्थान जहां केवल मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल बार (एफ.एल.-3) अनुज्ञप्ति हैं.	रुपये 2,90,000/-
9	ऊपर अनुक्रमांक 8 पर वर्णित से भिन्न मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों के लिए	रुपये 3,50,000/-
10	रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-ए) अनुज्ञप्ति	रुपये 5,30,000/-

परन्तु होटल बार (एफ.एल.-3) अनुज्ञप्ति तथा रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-ए) अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति फीस उपरोक्तानुसार ही रहेगी, भले ही अनुज्ञप्ति वर्ष के किसी भाग के लिए दी गई/मंजूरी की गई हो:

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति फीस, 2011 की जनगणना के अंतिम या प्रावधिक आंकड़े के प्रकाशन होने की तारीख से आगामी वर्ष के लिए प्रभावी होगी.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2014 से प्रवृत्त की गई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

क्र. बी-1-33-2013-2-पांच, (23).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-33-2013-2-पांच (23), दिनांक 9 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 9th June 2014

No. F-B-1-33-2013-2-V-(23).—In exercise of the powers conferred by Clauses (e), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62, read with proviso of sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and in sub-rule (2) of rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in Supersession of this Department's earlier Notification No. B-1-36-2012-2-V (14), dated 5th April, 2013 the State Government, hereby prescribes the annual licence fee for Hotel Bar (F-L-3) Licences and Resort Bar (F-L-3-A) Licences, as shown in column (3) of the Table below for the population or category of Town/City mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof, namely :—

TABLE

S.No. (1)	Population or Category of Town/City (2)	Licence fee per annum (3)
Hotel Bar Licence (F.L.-3)		
1.	For a town/city of which the population exceeds Ten lacs.	RS. 10,60,000/-
2.	For a town/city of which the population exceeds Five lacs but does not exceed Ten lacs.	RS. 8,60,000/-
3.	For a town/city of which the population exceeds Three lacs but does not exceed Five lacs.	RS. 7,50,000/-
4.	For a town/city of which the population exceeds One lacs but does not exceed Three lacs.	RS. 6,40,000/-
5.	For a District Headquarter and for a town/city of which the population exceeds 40,000 but does not exceed One lacs.	Rs. 5,30,000/-
6.	Places identified under eco-adventure tourist which are situated at a distance more than 5 kilometer from the town/city—	
	(a) A-Category	Rs. 4,00,000/-
	(b) B-Category	Rs. 3,40,000/-
	(c) C-Category	Rs. 3,20,000/-
7.	Heritage Hotels situated in rural areas which are recognized by Tourism Department.	Rs. 2,10,000/-
8.	Town, city and places, where only Madhya Pradesh Tourism Development Corporation is having Hotel Bar (F.L.-3) Licence.	Rs. 2,90,000/-
9.	Hotel of Madhya Pradesh Tourism Development Corporation other than as described at serial number 8 above.	Rs. 3,50,000/-
10.	Resort Bar (F. L.-3-A) Licences	Rs. 5,30,000/-

Provided that the licence fees shall be as above even if the Hotel Bar (F.L.-3) Licence and Resort Bar (F.L.-3-A) Licences are given/sanctioned for a part of the year:

Provided Further that the licence fee shall be effective from the date of final or provisional publication of data of Census, 2011 for forthcoming year.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

क्र. एफ-बी-1-33-2013-2-पांच (24).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड), (छ) एवं (ज) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक और धारा 63 तथा मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-2-पांच (15), दिनांक 5 अप्रैल 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित नगर/शहर की श्रेणी के लिए उसके कॉलम (3) में दर्शायी गई वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रेस्तरां बार (एफ.एल.-2) अनुज्ञप्तियों के लिए विहित करती है, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगर/शहर की श्रेणी (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
1	ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, उज्जैन एवं रीवा	रुपये 6,40,000/-
2	कान्हा किसली (जिला मंडला), पेंच (जिला सिवनी), बांधवगढ़ (जिला उमरिया), मुक्की (जिला बालाघाट), पचमढ़ी (जिला होशंगाबाद), माण्डू (जिला धार) और भीमबैटिका (जिला रायसेन).	रुपये 2,20,000/-
3	भोपाल तालाब में क्रूज बोट	रुपये 1,70,000/-

परन्तु रेस्तरां बार (एफ. एल.-2) अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति फीस उपरोक्तानुसार ही रहेगी, भले ही अनुज्ञप्ति वर्ष के किसी भाग के लिए दी गई/मंजूर की गई हो.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2014 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

क्र. बी-1-33-2013-2-पांच, (24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-33-2013-2-पांच, (24), दिनांक 9 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 9th June 2014

No. F-B-1-33-2013-2-V (24).—In exercise of the powers conferred by clause (e), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso to sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department's earlier Notification No. B-1-36-2012-2-V (15), Dated the 5th April 2013, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Restaurant Bar (F.L.-2) Licences as shown in column (3) of the Table below for the category of town/city mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof, namely :—

TABLE

S.No. (1)	Category of Town/City (2)	Licence fee per annum (3)
1	Gwalior, Indore, Bhopal, Jabalpur, Sagar, Ujjain and Rewa	Rs. 6,40,000/-
2	Kanha Kisli (District Mandla), Pench (District Seoni), Bandhavgarh (District Umarिया), Mukki (District Balaghat), Panchmari (District Hoshangabad), Mandu (District Dhar) and Bhimbethika (District Raisen).	Rs. 2,20,000/-
3	Cruise Boat in Bhopal Lake	Rs. 1,70,000/-

Provided that the licence fee shall be as above even if the Restaurant Bar (F. L.-2) Licence is given/sanctioned for a part of the year.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

क्र. एफ-बी-1-33-2013-2-पांच (25).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड), (छ) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक और धारा 63 तथा मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-2-पांच (16), दिनांक 5 अप्रैल 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित अनुज्ञप्ति के स्थान की श्रेणी के लिए, उसके कॉलम (4) में दर्शायी गई वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) के लिए विहित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अनुज्ञप्ति का प्रकार (2)	अनुज्ञप्ति के स्थान की श्रेणी (3)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (4)
1	वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) अनुज्ञप्ति.	नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र	रुपये 4,80,000/- रुपये 2,40,000/-
2	सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) अनुज्ञप्ति	—	रुपये 80,000/-

इन्दौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) अनुज्ञप्ति के लिये वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर जिलों के नगरीय क्षेत्रों में स्थित वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) द्वारा देय वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के समान प्रभाय होगी :

परन्तु तथा वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) तथा सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) अनुज्ञप्तियों के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस उपरोक्तानुसार ही रहेगी भले ही अनुज्ञप्ति वर्ष के किसी भाग के लिए दी गई/मंजूर की गई हो.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2014 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2014

क्र. बी-1-33-2013-2-पांच, (25).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-33-2013-2-पांच, (25), दिनांक 9 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 9th June 2014

No. F-B-1-33-2013-2-V (25).—In exercise of the powers conferred by clause (e) and (g) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso to sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department's earlier Notification No. B-1-36-2012-2-V (16), Dated the 5th April 2013, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Commercial Club Bar (F.L.-4-A) and Civilian Club Bar (F.L.-4) Licences, as shown in column (4) of the table below for the category of the place of the Licence mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof, namely :—

TABLE

S.No. (1)	Type of Licence (2)	Category of the Place of the Licene (3)	Licence fee per annum (4)
1	Commercial Club Bar (F.L.-4-A) Licence.	Urban Places Rural Places	Rs. 4,80,000/- Rs. 2,40,000/-
2	Civilian Club Bar (F.L.-4) Licence	-	Rs. 80,000/-

Annual licence fees for the Commercial Club Bar (F.L.-4-A) Licence located in rural areas of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior Districts shall be charged, equivalent as annual licence fees payable by the Commercial Club Bar (F.L.-4-A) Licence situated in urban areas of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior Districts :

Provided that the licence fee shall be as above even if the Commercial Club Bar (F.L.-4-A) and Civilian Club Bar (F.L.-4) Licence is given/sanctioned for a part of the year.

2. This Notification shall be deemed to have come into force from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.